

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/124

जानकी पत्नी सुन्दरलाल जाति लुहार निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

1. हरलाल आत्मज रामदेव जाति जाट निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. पांची बाई पत्नी प्रताप जाति मीणा निवासी नन्दगाँव (भोलू मीणा की झोंपडियों) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री श्याम दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.11.2017

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा की आराजी खसरा नम्बर 1503 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1670/1504 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।




- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।
5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत में किया था उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय नहीं लिखा इसलिए अपीलान्ट को जानकारी नहीं हुई। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.06.2015 को अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
 6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
 7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों अवहेलना करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण गुणागुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।
 8. रेस्पोंडेंट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जावे ।
 9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
 10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक

अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की भावना के विरुद्ध जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा